(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

एकल पीठ: माननीय श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 101/2004

बुधराम

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 283/2004

डूमर

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

दिनांक 04/12/2012 को सूचीबद्ध करें

सहीं/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)</u>

<u>एकल पीठ: माननीय श्री राधे श्याम शर्मा</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 101/2004</u>

<u>अपीलार्थी:</u> बुधराम, पिता- सोनाधर पनारा, उम्र 28 वर्ष निवासी- बाकबुन्द, थाना- नागामार , जिला- बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी:</u> छत्तीसगढ़ शासन

<u>दांडिक अपील क्रमांक 283/2004</u>

<u>अपीलार्थी:</u> डूमर, पिता- मनबोध गोंद, उम्र 48 वर्ष निवासी- सर्गिपाल, थाना- बोड़घाट, तहसील- जगदलपुर जिला- बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी:</u> छत्तीसगढ़ शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्तिथि:</u>

श्री प्रफुल्ल भारत, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी बुधराम दांडिक अपील 101/2004 में

श्री सूर्यकांत मिश्रा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी डूमर दांडिक अपील 283/2004 में

श्री आर.आर. सिन्हा, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य

<u>(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)</u>

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 04 दिसम्बर 2012 को घोषित)

1. वर्तमान अपीलें दिनांक 19-1-2004 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बस्तर, जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 382/2003 में पारित किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया:

<u>अपीलार्थी बुधराम</u>

दोशिसिद्धि	दंड
अंतर्गत धारा 307/34 भा.द.वि.	10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000/- रूपए का जुर्माना, व्यतिक्रम की दशा में अतिरिक्त 6 माह का कारावास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अपीलार्थी डूमर</u>

दोशिसिद्धि	दंड
अंतर्गत धारा 307/34 भा.द.वि.	03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 200/- रूपए का जुर्माना, व्यतिक्रम की दशा में अतिरिक्त 2 माह का कारावास

2. अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है :–

दिनांक 04.06.2003 को लगभग रात्रि 11:30 बजे घायल धर्म सिंह (अ.सा.क्रं- 2) भोजन करने के पश्चात अपने घर के सामने स्थित आंगन में सो रहा था। उसकी पत्नी सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) अपनी पुत्री के साथ घर के अंदर सो रही थी। लगभग रात्रि 1:30 बजे सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) ने अपने पति धर्म सिंह (अ.सा.क्रं- 2) की कराहने की आवाज सुनी। वह जागकर घर से बाहर आई। उसने देखा कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) घायल अवस्था में था। उसके मुंह तथा गर्दन पर चोटें थीं और वहां से रक्त निकल रहा था।

सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) ने पड़ोसियों को बुलाया तथा घटना की सूचना दूरभाष के माध्यम से पुलिस थाना को दी। सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) को पुलिस थाना बोधघाट लेकर गई

और वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी -6) दर्ज कराई। धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु महारानी अस्पताल, जगदलपुर भेजा गया, जिसका प्रेषण पत्र प्र.पी -7 है।

डॉ. के.एम. गुप्ता (अ.सा.क्रं-1) ने धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) का परीक्षण किया तथा अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट (प्र.पी -1) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाई :–

(i) दाहिने मुंह के कोने से नीचे की ओर जाती हुई 7 × 2 सेमी की चीरेदार चोट , जिसमें रक्त का थक्का उपस्थित था।

(ii) गर्दन के बाईं ओर 4 × 1 × 12 सेमी की चीरेदार चोट।

(iii) थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे गर्दन पर 3 × 2 सेमी की त्वचा-गहरी चीरेदार चोट।

(iv) चोट क्रमांक (iii) के निकट 6 × 1½ सेमी की त्वचा-गहरी चीरेदार चोट।

उन्होंने एक्स-रे कराने की सलाह दी तथा घायल धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) को आगे के उपचार हेतु शल्य चिकित्सक तथा ईएनटी विशेषज्ञ के पास भेजा| डॉ. के.जी. मेश्राम (अ.सा.क्रं-8) ने धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) का एक्स-रे किया तथा अपनी रिपोर्ट (प्र.पी -5) दी, जिसमें उन्होंने निचले जबड़े में फ्रैक्चर पाया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आगे की विवेचना में साधारण मिट्टी तथा रक्तरंजित मिट्टी को जप्त किया गया, जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी -9 है। घटना स्थल का नज़री नक्शा प्र.पी -10 तैयार किया गया। अपीलार्थी बुधराम का कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्र.पी -11 के माध्यम से अभिलेखित किया गया। अपीलार्थी बुधराम के बताने पर एक कदारी जप्त की गई, जिसकी जप्ती प्र.पी -12 के माध्यम से की गई। जप्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जिसका पत्र प्र.पी -15 है। वहां से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, जगदलपुर को उपार्पित किया। वहां से प्रकरण स्थानांतरण पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश , बस्तर, जगदलपुर के न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण संपन्न कर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर उपर्युक्तानुसार दण्डित किया।

3. अपीलार्थियों के अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत एवं श्री सूर्यकांत मिश्रा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) का साक्ष्य विरोधाभासों से परिपूर्ण है। सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) एवं सहदाई

(अ.सा.क्रं-6) घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं तथा उन्होंने अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में रक्त समूह के स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध दर्ज की गई दोषसिद्धि विधि सम्मत नहीं है और अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए जाने के पात्र हैं।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलार्थियों को प्रदान की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन भी किया है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि घायल धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) के साक्ष्य पर आधारित है।

6. तक़दीर समशुद्दीन शेख विरुद्ध गुजरात शासन व् एक अन्य (ऐआईआर 2012 एससी 37) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "10. ..... इस संबंध में प्रस्तुत किया गया तर्क यह था कि श्री भरत राजेंद्रप्रसाद त्रिवेदी (अ.सा.क्रं- 1), जो फर्म के एक साझेदार हैं, उक्त भूमि के लेन-देन में लाभान्वित होंगे, यदि एक साझेदार का उन्मूलन हो जाए और दूसरा साझेदार जेल चला जाए। ऐसा तर्क निम्नलिखित दो कारणों से स्वीकार्य नहीं है:
>
> (i) किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय उसे 'हितबद्ध साक्षी' मानते हुए न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि 'हितबद्ध' शब्द का आशय यह है कि उस साक्षी का अभियुक्त को किसी अन्य कारण से दोषसिद्ध कराने में प्रत्यक्ष हित होना चाहिए।
>
> (ii) इस न्यायालय ने निरंतर यह अवधारित किया है कि सामान्य नियम के रूप में न्यायालय किसी एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर भी कार्य कर सकता है और करना भी चाहिए, बशर्ते वह पूर्णतः विश्वसनीय हो। केवल एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 का तर्क है। परंतु यदि साक्ष्य में संदेह हो, तो न्यायालय पुष्टि की अपेक्षा करेगा। वास्तव में, महत्व संख्या या परिमाण का नहीं, बल्कि गुणवत्ता का होता है। यह एक समय-परीक्षित सिद्धांत है कि साक्ष्य को गिना नहीं, बल्कि तौला जाता

है। कसौटी यह है कि क्या साक्ष्य सत्यता की छाप लिए हुए है, ठोस, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद है या नहीं। विधिक प्रणाली ने साक्ष्य की संख्या, बहुलता या अनेकता की अपेक्षा उसके मूल्य, भार और गुणवत्ता पर अधिक बल दिया है। अतः सक्षम न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह एकमात्र साक्षी पर पूर्णतया भरोसा करते हुए दोषसिद्धि दर्ज करे। इसके विपरीत, यदि साक्ष्य की गुणवत्ता से संतुष्ट न हो, तो अनेक साक्षियों के साक्ष्य के बावजूद भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है......"

7. ब्रह्म स्वरूप व् एक अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन (ऐआईआर 2011 एससी 280) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:
"22. जहाँ घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी स्वयं उस घटना में घायल हुआ हो, ऐसे साक्षी का साक्ष्य सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह ऐसा साक्षी होता है जिसकी घटना-स्थल पर उपस्थिति की एक अंतर्निहित गारंटी होती है तथा यह संभावना कम होती है कि वह वास्तविक आक्रमणकारी/आक्रमणकारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फँसाए। किसी घायल साक्षी की विश्वसनीयता को खंडित करने के लिए ठोस एवं प्रभावी साक्ष्य अपेक्षित होता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. रणजीत सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ऐआईआर 2011 एससी 255) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:

17. '..... भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन, किसी एकमात्र साक्षी द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त होता है, जबकि आधा दर्जन साक्षियों द्वारा दिया गया अविश्वसनीय साक्ष्य दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यह निस्संदेह सत्य है; तथापि, जहाँ किसी दांडिक न्यायालय को ऐसे अपराध के संबंध में साक्ष्यों पर विचार करना पड़ता है जिसमें अनेक अभियुक्त तथा अनेक पीड़ित सम्मिलित हों, वहाँ सामान्यतः यह कसौटी अपनाई जाती है कि दोषसिद्धि तभी कायम रखी जा सकती है जब उसे दो, तीन या अधिक साक्षियों द्वारा समर्थित किया गया हो, जो घटना का एकरूप एवं सुसंगत विवरण प्रस्तुत करते हों। एक दृष्टि से यह कसौटी यांत्रिक कही जा सकती है; किन्तु यह समझना कठिन है कि इसे अविवेकपूर्ण अथवा अनुचित कैसे माना जा सकता है।'

18. मुथु नायकर एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (एआईआर 1978 एस सी 1647) में इस न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय का स्पष्टीकरण करते हुए यह अवधारित किया कि ऐसी स्थिति में, जहाँ किसी साक्षी पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों से युक्त किसी विधिविरुद्ध जमावके सदस्यों द्वारा

आक्रमण किया गया हो, न्यायालय को ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता के प्रश्न पर अत्यंत सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसे साक्षी का कथन प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विश्वसनीय नहीं है, वहाँ न्यायालय को यह अपेक्षा करनी चाहिए कि ऐसे साक्ष्य का एक या अधिक अन्य साक्षियों द्वारा पुष्टिकरण किया जाए, तभी उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना उचित होगा।

19. किसी विधि-सिद्धांत के रूप में ऐसा कोई साक्ष्य-नियम नहीं है कि जब तक किसी निश्चित न्यूनतम संख्या में साक्षी किसी अभियुक्त को विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में पहचान न लें, तब तक दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। यह एक स्वयंसिद्ध सिद्धांत है कि साक्ष्य की गणना नहीं, बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है, और साक्ष्य की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है।यहाँ तक कि यदि किसी एकमात्र साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय हो, तो वह भी किसी अभियुक्त की विधिविरुद्ध जमावके सदस्य के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, जब विधिविरुद्ध जमावका आकार अत्यधिक बड़ा हो (जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है) और अनेक व्यक्तियों ने घटना को देखा हो..."

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. मनो दत्त व एक अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 एससीसी 79 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:

"30. सामान्यतः, एक घायल साक्षी को अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होती है, क्योंकि वह स्वयं पीड़ित होता है और इस प्रकार उसके लिए घटना का गलत विवरण प्रस्तुत करने अथवा किसी व्यक्ति को झूठा फँसाने तथा वास्तविक अपराधी को बचाने का कोई कारण नहीं होता। न्यायालय द्वारा घायल साक्षी की साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, आपराधिक न्यायशास्त्र का यह सिद्धांत अब विवाद का विषय नहीं रह गया है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा इसे निरंतर एकसमान भाषा में अवधारित किया गया है।"

31. अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एससीसी 259 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिप्रेत किया है: (एससीसी पृ. 271-72, अनुच्छेद 28-30)

"28. उस साक्षी के साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, जो स्वयं घटना के दौरान घायल हुआ हो, इस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से विचार किया गया है। जहाँ किसी घटना का साक्षी स्वयं उसी घटना में घायल हुआ हो, ऐसे साक्षी का साक्ष्य सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि वह ऐसा साक्षी होता है जिसकी घटना-स्थल पर

उपस्थिति की एक अंतर्निहित गारंटी होती है, तथा यह संभावना अत्यंत कम होती है कि वह वास्तविक आक्रमणकारी/आक्रमणकारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फँसाए। 'एक घायल साक्षी की विश्वसनीयता को खारिज करने के लिए ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक होता है।' [देखें: रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य, (1973) 3 एससीसी 881; मल्खान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1975) 3 एससीसी 311; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एससीसी 470; अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, 1988 सप्लीमेंट एससीसी 241; बोंक्या बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1995) 6 एससीसी 447; भग सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1997) 7 एससीसी 712; मोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2002) 7 एससीसी 606; दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य, (2008) 8 एससीसी 270; विष्णु बनाम राजस्थान राज्य, (2009) 10 एससीसी 477; अन्नारेड्डी संबशिवा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 12 एससीसी 546; तथा बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एससीसी 673.]

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29. इस विषय का निराकरण करते समय, इसी प्रकार का दृष्टिकोण जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 9 एससीसी 719 में अपनाया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने घायल साक्षी की साक्ष्य को प्रदान की गई विशेष साक्ष्यात्मक महत्ता को पुनः अवधारित किया तथा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों का अवलंब लेते हुए निम्नानुसार अभिप्रेत किया: (एससीसी पृ. 726-27, अनुच्छेद 28-29)

'28. दर्शन सिंह (अ.सा.क्रं 4) एक घायल साक्षी था। उसका परीक्षण चिकित्सक द्वारा किया गया था। उसकी साक्ष्य को हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता था। उसने घटना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया, क्योंकि वह उस समय उपस्थित था जब हमलावर ट्यूबवेल पर पहुँचे थे। शिवलिंगप्पा कल्लायनप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, 1994 सप्लीमेंट (3) एससीसी 235 में इस न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि घायल साक्षी के बयान पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए ठोस आधार, जैसे कि महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं विसंगतियाँ, विद्यमान न हों; इसका कारण यह है कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि उसे उक्त घटना के दौरान चोटें आई थीं, तो घटना-स्थल पर उसकी उपस्थिति स्वतः सिद्ध हो जाती है।

29. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद, (2004) 7 एससीसी 629 में इसी प्रकार का दृष्टिकोण पुनः दोहराया गया है, जिसमें यह अभिलक्षित किया गया कि घायल साक्षी का

साक्ष्य का अपना स्वतंत्र महत्व एवं प्रभाव होता है। यह तथ्य कि साक्षी को घटना के समय एवं स्थान पर चोटें आई थीं, इस बात का समर्थन करता है कि वह घटना के समय उपस्थित था। यदि घायल साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया हो और उसके कथन को अस्वीकार करने हेतु कुछ भी प्रतिकूल प्राप्त न हो, तो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए (देखें: कृष्ण बनाम हरियाणा राज्य, (2006) 12 एससीसी 459)। अतः, हम यह सुविचारित मत रखते हैं कि दर्शन सिंह (अ.सा.क्रं 4) के साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सही रूप से विश्वास किया गया है।'

30. इस बिंदु पर विधि का सार यह है कि घायल साक्षी के साक्ष्य को विधि में एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। इसका कारण यह है कि साक्षी को लगी चोट स्वयं में ही घटना-स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी होती है, तथा ऐसा साक्षी वास्तविक आक्रमणकारी को दंड से बचाने के लिए किसी तृतीय व्यक्ति को झूठा फँसाने का प्रयास नहीं करेगा। अतः, घायल साक्षी के बयान पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने हेतु ठोस आधार, जैसे कि उसमें विद्यमान महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं विसंगतियाँ, उपलब्ध न हों।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) ने अपने बयान में कहा कि घटना के दिन लगभग सायं 6:00 बजे वह अपने घर पर था। अपीलार्थी उसके घर आए और मुर्गे के मांस की मांग की। उसने अपीलार्थीगण से कहा कि मांस अभी पका नहीं है और उन्हें कुछ समय बाद आने को कहा। उसने आगे कहा कि लगभग डेढ़ घंटे बाद उसने अपनी पत्नी सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) को आवाज दी, किन्तु सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) के स्थान पर अपीलार्थी बुधराम ने उत्तर दिया। तब उसने बुधराम से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। इस पर अपीलार्थी बुधराम उससे झगड़ा करने लगा। उसने आगे कहा कि उसने अपीलार्थी बुधराम को दो थप्पड़ मारे। उसने आगे कहा कि लगभग रात्रि 11:30 बजे अपीलार्थी पुनः उसके घर आए। उस समय वह अपने घर के बाहर सो रहा था। अपीलार्थी डूमर ने उसे पकड़ लिया तथा अपीलार्थी बुधराम ने उस पर चाकू से प्रहार किया। उसे उसके मुँह और गर्दन पर चोटें आईं। वह कराहने लगा। इसके पश्चात अपीलार्थी वहाँ से भाग गए। उसके कराहने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) एवं पुत्री सहदाई (अ.सा.क्रं-6) वहाँ पहुँचीं। अपीलार्थी डूमर की पत्नी भी उसे देखने वहाँ आई। उसने आगे कहा कि सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) उसे

पुलिस थाने ले गई। पुलिस ने उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु जगदलपुर अस्पताल भेजा, जहाँ से उसे रायपुर अस्पताल रेफर किया गया।

11. सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) एवं सहदाई (अ.सा.क्रं-6) ने अपने-अपने बयानों में कहा कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) सायंकाल अपने घर लौटे। सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) ने भोजन तैयार किया। उसी समय अपीलार्थी उनके घर आए और सब्जी की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) ने अपीलार्थीगण से कहा कि भोजन अभी तैयार नहीं हुआ है और उन्हें कुछ समय बाद आने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि लगभग डेढ़ घंटे पश्चात धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) ने सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) को आवाज दी, जिस पर अपीलार्थी बुधराम ने उत्तर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) ने अपीलार्थी बुधराम से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। इस पर अपीलार्थी बुधराम, धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) से झगड़ा करने लगा। उन्होंने आगे कहा कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) ने अपीलार्थी बुधराम को दो थप्पड़ मारे।

12. सुभद्रा (अ.सा.क्रं- 3) एवं सहदाई (अ.सा.क्रं- 6) ने अपने बयानों में कहा कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) की कराहने की आवाज सुनकर वे उस स्थान पर पहुँचीं जहाँ धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) सो रहा था। उन्होंने देखा कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) की गर्दन पर चोट लगी थी। सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) ने कहा कि उसने इसकी सूचना पुलिस थाने को दी, जिसके पश्चात पुलिस ने धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सहायक उपनिरीक्षक एस.एल. सिन्हा (अ.सा.क्रं-9) ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु महारानी अस्पताल, जगदलपुर भेजा, जिसका उल्लेख प्रदर्श (प्र.पी -7) में है। उन्होंने आगे कहा कि सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जो प्रदर्श (प्र.पी -6) है। डॉ. के.एन. गुप्ता (अ.सा.क्रं-1) ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) का परीक्षण किया तथा अपनी रिपोर्ट (प्र.पी -2) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाई— (i) दाहिने मुख के कोने पर 7×2 सेमी का चीरा घाव, जो नीचे की ओर जा रहा था तथा उसमें रक्त का थक्का उपस्थित था, (ii) गर्दन के बाईं ओर 4×1×2 सेमी का चीरा घाव, (iii) थायरॉयड कार्टिलेज के नीचे गर्दन पर 3×1/2 सेमी का त्वचा-गहराई तक का चीरा घाव, तथा (iv) चोट क्रमांक (iii) के समीप 6×1/2 सेमी का त्वचा-गहराई तक का चीरा घाव। उन्होंने एक्स-रे कराने की सलाह दी तथा घायल को आगे के उपचार हेतु शल्य चिकित्सक एवं ईएनटी

विशेषज्ञ के पास संदर्भित किया। डॉ. के.सी. मेश्राम (अ.सा.क्रं-8) ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने एक्स-रे किया तथा अपनी रिपोर्ट (प्र.पी -5) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने निचले जबड़े में फ्रैक्चर पाया।

14. घटना की दिनांक 04-06-2003 तथा समय लगभग रात्रि 11:30 बजे का था और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी -6) दिनांक 05-06-2003 को प्रातः 2:10 बजे, अर्थात लगभग 3 घंटे के भीतर दर्ज की गई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी -6) बिना किसी विलंब के दर्ज की गई।

15. मैंने धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) के साक्ष्य का अवलोकन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के दिन अपीलार्थी उसके घर आए तथा अपीलार्थी डूमर ने उसे पकड़ लिया और अपीलार्थी बुधराम ने उस पर चाकू (छुरा) से प्रहार किया। सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) एवं सहदाई (अ.सा.क्रं-6) ने अपने बयानों में कहा कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) की कराहने की आवाज सुनकर वे जाग गईं और धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) के पास पहुँचीं। उन्होंने धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) को घायल अवस्था में देखा। उनके साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पुष्ट होते हैं। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) तथा सुभद्रा (अ.सा.क्रं-3) का साक्ष्य विश्वसनीय एवं ठोस है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अब यह विचारणीय है कि क्या अपीलार्थीगण के बीच कोई समान आशय था तथा उसी के परिपालन में उन्होंने धर्म सिंह (अ.सा.क्रं-2) को चोटें पहुँचाईं?

17. यह सर्वविदित है कि अनेक व्यक्तियों के समान आशय को स्थापित करने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू करने हेतु निम्नलिखित दो मूलभूत तथ्यों का स्थापित होना आवश्यक है: (i) अपराध करने का समान आशय, तथा (ii) अपराध के संपादन में अभियुक्त की सहभागिता। धारा 34 भा.दं.सं. को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्त स्वयं मृतक/पीड़ित पर प्रहार करे। यह पर्याप्त है यदि यह प्रदर्शित किया जाए कि सभी अभियुक्तों ने अपराध करने के लिए समान आशय साझा किया था तथा उसके परिपालन में प्रत्येक ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई, चाहे उनके कृत्य समान हों या भिन्न।धारा 34 भा.दं.सं. तब भी लागू होती है जब किसी विशिष्ट अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट नहीं पहुँचाई गई हो। धारा 34 के अनुप्रयोग हेतु अभियुक्त की ओर से किसी प्रत्यक्ष कृत्य का होना भी अनिवार्य नहीं है।

18. रंगनाथ शर्मा विरुद्ध सतेंद्र शर्मा व एक अन्य, (2008) 12 एससीसी 259 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिलक्षित किया:

21. "सामान्य आशय का आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करना होता है कि अभियुक्तों के बीच अपराध करने हेतु पूर्व योजना या मस्तिष्कों का समन्वय था, जिसके लिए उन पर धारा 34 भा.द.वि के अंतर्गत आरोप लगाया गया है—चाहे वह पूर्व नियोजित हो या तत्काल उत्पन्न हुआ हो; किन्तु यह अपराध के किए जाने से पूर्व अवश्य होना चाहिए। इस धारा की वास्तविक अवधारणा यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कृत्य को संयुक्त रूप से जानबूझकर करते हैं, तो विधि में उनकी स्थिति वही मानी जाएगी मानो प्रत्येक ने वह कृत्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से किया हो। किसी अपराध में सहभागियों के बीच सामान्य आशय का अस्तित्व इस धारा के अनुप्रयोग के लिए अनिवार्य तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के आरोपित व्यक्तियों के कृत्य समान या हूबहू एक जैसे हों; उनके कृत्य प्रकृति में भिन्न हो सकते हैं, परंतु वे सभी अभियुक्तों में व्याप्त एक ही सामान्य आशय से प्रेरित होने चाहिए, तभी इस प्रावधान का आकर्षण होगा। यह धारा तब भी लागू होती है जब किसी विशेष अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट नहीं पहुँचाई गई हो। धारा 34 भा.द.वि के अनुप्रयोग हेतु यह भी आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य सिद्ध किया जाए, यदि यह दर्शा दिया जाए कि सामान्य आशय और मस्तिष्कों का समन्वय विद्यमान था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. राम तहाल विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन , (1972) 1 एससीसी 136 में यह अवधारित किया गया है: (एससीसी पृ. 140, पैरा 5)

"5. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य आशय अपराध के संपादन से पूर्व का होना चाहिए, जो पूर्व नियोजित योजना और पूर्व सहमति को दर्शाता हो। यद्यपि अधिकांश मामलों में किसी व्यक्ति के आशय को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना कठिन होता है, तथापि इसे उसके कृत्य, आचरण या प्रकरण की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से अनुमानित किया जाना आवश्यक है। यह अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अभियुक्त घटनास्थल पर किस प्रकार पहुँचे और किस प्रकार उन्होंने आक्रमण किया; प्रहार करने में उनका दृढ़ संकल्प और पारस्परिक समन्वय क्या था; उनमें से एक या कुछ द्वारा पहुँचाई गई चोटों के संदर्भ में अन्य व्यक्तियों द्वारा उन कृत्यों में किस प्रकार सहायता प्रदान की गई; तथा

अपराध के पश्चात उनका सामूहिक आचरण कैसा रहा—जैसे कि सभी का एक साथ घटनास्थल से चले जाना—और ऐसे अन्य कृत्य, जो सभी या कुछ अभियुक्तों द्वारा किए गए हों, जिनसे सामान्य आशय का निर्धारण करने में सहायता मिलती हो। अन्य शब्दों में, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि अभियुक्तों का अपराध करने हेतु सामान्य आशय था या नहीं, समस्त परिस्थितियों का समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने कृष्ण गोविंद पाटिल विरुद्ध महाराष्ट्र , एआईआर 1963 एससी 1413 (जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है) में यह भी अवधारित किया है कि पूर्व नियोजित योजना अपराध के क्रियान्वयन के दौरान घटनास्थल पर भी विकसित हो सकती है, किन्तु निर्णायक परिस्थिति यह है कि उक्त योजना उस कृत्य से पूर्व अस्तित्व में होनी चाहिए जो अपराध का गठन करता है। यदि ऐसा है, तो किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को धारा 302 भा.द.वि या धारा 304 भा.द.वि सहपठित धारा 34 भा.द.वि के अंतर्गत दोषसिद्ध करने से पूर्व यह निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक है कि उक्त व्यक्ति का एक या अधिक नामित अथवा अनाम व्यक्तियों के साथ अपराध करने हेतु पूर्व सहमति थी।”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी बुधराम एवं डूमर, धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) के घर आए। उस समय अपीलार्थी बुधराम चाकू से सुसज्जित था और उसने धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) को गाली-गलौज की, तथा अपीलार्थी डूमर ने उसे पकड़ लिया। इसके पश्चात अपीलार्थी बुधराम ने चाकू से धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) के मुख एवं गर्दन पर चोटें आईं। अपीलार्थीगण द्वारा निभाई गई भूमिका धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) पर आक्रमण करने के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु थी।

20. अब यह विचारणीय है कि क्या अपीलार्थीगण का कृत्य धारा 307 भा.द.वि के अंतर्गत दंडनीय है।

21. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) के स्वयं के कथन से यह स्पष्ट है कि उसके और अपीलार्थीगण के बीच विवाद हुआ था। डॉ. के. एन. गुप्ता (अ.सा.क्रं-1) ने यह अभिप्रमाणित नहीं किया कि प्राप्त चोटें जीवन के लिए घातक थीं। अभियोजन पक्ष चोटों की प्रकृति को सिद्ध करने में असफल रहा। अतः यह प्रतीत होता है कि धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) को लगी चोटें उसके जीवन के लिए संकटकारी नहीं थीं। अभियोजन यह सिद्ध करने में भी असमर्थ रहा कि उक्त चोटें

प्राणघातक थीं, अतः अपीलार्थीगण का अपराध धारा 324 भा.द.वि के अंतर्गत दंडनीय है। अपीलार्थी बुधराम 7-6-2003 से 30-7-2004 तक, अर्थात् 1 वर्ष 1 माह 23 दिन तक कारावास में रहा तथा अपीलार्थी डूमर 23-6-2003 से 18-3-2004 तक, अर्थात् 8 माह 25 दिन तक कारावास में रहा। न्याय के हित में यह उपयुक्त होगा कि अपीलार्थीगण को उनके द्वारा पूर्व में भोगी गई अवधि के लिए ही दंडित किया जाए।

22. श्री आर. आर. सिन्हा, राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान पैनल अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया।

23. मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध केदार यादव (2011) 1 एससीसी (कृ) 1008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार अवधारित किया है:

“12. इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने में सक्षम शारीरिक चोट वास्तव में पहुंचाई गई हो। यद्यपि वास्तविक रूप से हुई चोट का स्वरूप अभियुक्त की मंशा के निर्धारण में सहायक हो सकता है, तथापि ऐसी मंशा अन्य परिस्थितियों से भी निष्कर्षित की जा सकती है, और कुछ मामलों में बिना किसी वास्तविक चोट के संदर्भ के भी निर्धारित की जा सकती है। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच भेद करती है। ऐसा कृत्य, आक्रमण किए गए व्यक्ति के संदर्भ में, किसी परिणाम के बिना भी हो सकता है, फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित को पहुंचाई गई चोट सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना होता है कि कृत्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, धारा में वर्णित मंशा या ज्ञान तथा परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया था या नहीं। किसी प्रयास को आपराधिक ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अंतिम से पूर्व का कृत्य हो; विधि की दृष्टि से यह पर्याप्त है कि मंशा विद्यमान हो और उसके क्रियान्वयन हेतु कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया गया हो ।

13.धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए यह पर्याप्त है कि मंशा के साथ उसके क्रियान्वयन में कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया गया हो। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने में सक्षम शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच भेद करती है। न्यायालय को यह देखना होता है कि कृत्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, धारा में वर्णित मंशा या ज्ञान तथा परिस्थितियों में किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था या नहीं। अतः केवल इस आधार पर कि पीड़ित को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थीं, धारा 307 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोपित अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।"

24. धारा 307 भा.द.वि के अंतर्गत अपराध स्थापित करने हेतु निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है—

(क) हत्या करने से संबंधित आशय या ज्ञान; तथा

(ख) उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी कृत्य का किया जाना।

धारा 307 भा.द.वि के प्रयोजनार्थ, जो बात महत्वपूर्ण है वह आशय या ज्ञान है, न कि उस कृत्य का वास्तविक परिणाम जो उस आशय की पूर्ति के लिए किया गया। यह धारा स्पष्ट रूप से ऐसे कृत्य का अभिप्राय करती है, जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, किन्तु बीच में हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियों के कारण अपेक्षित परिणाम उत्पन्न न हो सका हो। आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या के अपराध के गठन के लिए आवश्यक है। यदि ऐसा आशय या ज्ञान, जो धारा 307 भा.द.वि का आवश्यक घटक है, अनुपस्थित हो, तो हत्या के प्रयास का अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) ने अपने कथन में कहा कि घटना के दिन अपीलार्थी उसके घर आए और उसके तथा अपीलार्थी बुधराम के बीच कुछ विवाद हुआ। इसके पश्चात लगभग रात्रि 11:30 बजे अपीलार्थी पुनः उसके घर आए। अपीलार्थी डूमर ने उसे पकड़ लिया तथा अपीलार्थी बुधराम ने चाकू से उस पर प्रहार किया और उसके मुख एवं गर्दन पर चाकू से वार किया। डॉ. के. एन. गुप्ता (अ.सा.क्रं-1) ने धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) का परीक्षण किया और उसके मुख एवं गर्दन पर चीरेदार घाव पाए तथा उसे शल्य एवं ईएनटी विभाग को संदर्भित किया।

26. वर्तमान प्रकरण में यह सिद्ध होता है कि घटना के दिन अपीलार्थी धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) के घर आए और उसके तथा अपीलार्थी बुधराम के बीच कुछ विवाद हुआ। इसके पश्चात लगभग रात्रि 11:30 बजे अपीलार्थी पुनः धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) के घर आए। अपीलार्थी डूमर ने धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) को पकड़ लिया तथा अपीलार्थी बुधराम ने चाकू से धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) पर प्रहार किया और उसके मुख एवं गर्दन पर चाकू से वार किया। अतः अपीलार्थीगण का अपराध धारा 307 भा.द.वि के दायरे में आता है।

27. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि हेतु पारित निर्णय किसी भी प्रकार की त्रुटि या विधिक दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

28. जहाँ तक दंड के प्रश्न का संबंध है, अपीलार्थी बुधराम को धारा 307/34 भा.द.वि के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। घटना वर्ष 2003 की है। इस तथ्य तथा धरम सिंह (अ.सा.क्रं-2) को लगी चोटों को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी बुधराम को दिया गया 10 वर्ष का दंड अत्यधिक है। जहाँ तक अपीलार्थी डूमर को दिए गए दंड का संबंध है, वह न्यायोचित एवं उपयुक्त है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

29. अतः, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को धारा 307/34 भा.द.वि के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि यथावत् रखी जाती है। उक्त धारा के अंतर्गत अपीलार्थी डूमर को दी गई सजा भी यथावत् रखी जाती है। जहाँ तक अपीलार्थी बुधराम को उक्त धारा के अंतर्गत दिए गए कारावास का संबंध है, उसे 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया जाता है तथा उस पर अधिरोपित अर्थदंड यथावत् रखा जाता है। अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे शेष कारावास की अवधि भोगने हेतु, यदि कोई शेष हो, तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सहीं/-

श्री आर एस शर्मा

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

<u>Translated by:</u> Adv. Navdeep Agrawal